बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–...../

पटना, दिनांक.....

सं0सं0–03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत औद्योगिक ईकाईयों को घोषित देय प्रोत्साहन पैकेज/अनुदान की प्रतिपूर्ति तथा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को देय लंबित विभिन्न रियायतें एवं सुविधाओं यथा डी0जी0सेट के प्लान्ट एवं मशीनरी पर हुये व्यय की राशि का अनुदान/कैपटिव पावर जेनरेशन, पूँजीगत अनुदान, स्टाम्प डयूटी की प्रतिपूर्ति एवं आदि की प्रतिपूर्त्ति/खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत स्थापित/कार्यरत ईकाईयों के लंबित अनुदान का भुगतान/पुनर्वास के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/वित्त मंत्रालय के आदेश का अनुपालन किये जाने तथा रूग्ण उद्योगों के लिए गठित शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों को देने/प्रतिपूर्त्ति हेतु सब्सिडी मद में कुल ₹16520.00 लाख (एक सौ पैसठ करोड़ बीस लाख) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत औद्योगिक ईकाईयों को देय घोषित प्रोत्साहन पैकेज/अनुदान की प्रतिपूर्ति तथा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को देय लंबित विभिन्न रियायतें एवं सुविधाओं यथा डी0जी0सेट के प्लान्ट एवं मशीनरी पर हुये व्यय की राशि का अनुदान/कैपटिव पावर जेनरेशन, पूँजीगत अनुदान, स्टाम्प डयूटी की प्रतिपूर्ति एवं आदि की प्रतिपूर्त्ति/खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत स्थापित/कार्यरत ईकाईयों के लंबित अनुदान का भुगतान/पुनर्वास के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/वित्त मंत्रालय के आदेश का अनुपालन किये जाने तथा रूग्ण उद्योगों के लिए गठित शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों को देने/प्रतिपूर्त्ति हेतु सब्सिडी मद में **कुल ₹16520.00 लाख (एक सौ पैसठ करोड़ बीस लाख) मात्र** के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि का व्यय संकल्प सं0–691, दिनांक–09.06.2011, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की अधिसूचना सं0–1822, दिनांक–01.09.2016 द्वारा घोषित प्रावधानों/दिशा निदेश तथा उद्योग विभागीय पत्रांक–951, दिनांक–22.09.2014 के अनुसार किया जायेगा।

3. उपलब्ध करायी गयी राशि का 5 प्रतिशत राशि महिला उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर व्यय की जायेगी।

4. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80– सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से **₹16520.00 लाख (एक सौ पैसठ करोड़ बीस लाख) मात्र** विकलनीय होगा। जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष यथेष्ट बजट उपबंध उपलबध है।

5. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा योजना के नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

6. उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा इकाईवार निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी तथा स्वीकृत्यादेश में दिये गये निदेशानुसार राशि का भुगतान सम्बन्धित इकाई/संस्था को सी0एफ0एम0एस0 प्रावधान के माध्यम से उनके बैंक खाता में की जायेगी।

क्रमशः पृष्ट–02...

7. यह राज्य सरकार की चालू योजना है। राशि की निकासी फार्म बी0टी0सी0–25 पर की जायेगी।

8. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

9. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन सं0 सं0–03/उ0नि0/योजना (औ0प्रो0नीति)–02/2015 के पृष्ट 220/टि0 पर प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0 सं0–03/उ0नि0/योजना (औ0प्रो0नीति)–02/2015 के पृष्ट–223/टि0 पर दिनांक–31.07.2019को प्राप्त हैं।

11. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.98 की कंडिका–2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पंत्राक–8244 दिनांक–02.08.2010 के दिशा निर्देशों के अनुरूप की जायेगी।

12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–7355/वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–...../
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015
पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–...../
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015
पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–3020/
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–02/2015
पटना, दिनांक–1·9·19

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय/निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय/निदेशक (खा0 प्र0)/उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी–1, उद्योग विभाग/प्रशाखा–2 (उ0नि0), उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी, एस0आई0पी0बी0 एवं प्रशाखा–3, उद्योग निदेशालय/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।